

विविध बैंक प्रकरण सं० 65/2019(RCMS 2019/00108) पंजाब नेशनल बैंक शाखा-श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक श्री जसबीर सिंह मीलू, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स आहुजा इंडस्ट्रीज प्रो. श्री ऋषि अहुजा एवं श्री गौतम आहुजा, दुकान नं० 61, 31, 17 नई धानमंडी श्रीकरणपुर एवं मकान नं०-8 सी ब्लॉक श्रीकरणपुर 2. मैसर्स भागचंद राजकुमार प्रो. ऋषि आहुजा पुत्र चिमन लाल आहुजा निवासी दुकान नं० 31, नई धान मंडी, श्रीकरणपुर

17.07.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी थी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्र का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स आहुजा इंडस्ट्रीज प्रो. ऋषि आहुजा एवं गौतम आहुजा और मैसर्स भागचंद राज कुमार प्रो. ऋषि आहुजा को ऋण सुविधा के रूप में 80,00,000/- (अखरे रूपये अस्सी लाख मात्र) का ऋण दिनांक 10.09.2014 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स आहुजा इंडस्ट्रीज-प्रो. ऋषि आहुजा एवं गौतम आहुजा की व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं० 61 (उत्तर, दक्षिण पश्चिम दिशा खुलता हुआ) नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) एवं मैसर्स भाग चंद राज कुमार-प्रो. ऋषि आहुजा की व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं० 31 (पूर्व, पश्चिम दिशा खुलता हुआ), नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी।

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका

जिला मैजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ऋण खाता दिनांक 30.09.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.09.2018 को 83,34,750/- रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है। जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 10.10.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मैसर्स अप्रार्थी मैसर्स आहुजा इंडस्ट्रीज-प्रो. ऋषि आहुजा एवं गौतम आहुजा एवं मैसर्स भाग चंद राज कुमार-प्रो. ऋषि आहुजा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 61 (उत्तर, दक्षिण पश्चिम दिशा खुलता हुआ) नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) एवं व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 31 (पूर्व, पश्चिम दिशा खुलता हुआ), नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी अप्रार्थी मैसर्स आहुजा इंडस्ट्रीज-प्रो. ऋषि आहुजा एवं गौतम आहुजा की व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 61 (उत्तर, दक्षिण पश्चिम दिशा खुलता हुआ) नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) एवं मैसर्स भाग चंद राज कुमार-प्रो. ऋषि आहुजा की व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 31 (पूर्व, पश्चिम दिशा खुलता हुआ), नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) को

जिला प्रॉजस्ट्र २
श्री गंगानगर

80,00,000/- (अखरे रूपये अस्सी लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 10.09.2014 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अप्रार्थी-मैसर्स आहुजा इंडस्ट्रीज-प्रो. ऋषि आहुजा एवं गौतम आहुजा एवं मैसर्स भाग चंद राज कुमार-प्रो. ऋषि आहुजा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 61 (उत्तर, दक्षिण पश्चिम दिशा खुलता हुआ) नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) एवं व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 31 (पूर्व, पश्चिम दिशा खुलता हुआ), नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 30.09.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 10.10.2018 जारी किया गया है जिस पर अप्रार्थी ऋषि आहुजा के स्वयं के हस्ताक्षर है इसके साथ अप्रार्थी ऋणी मैसर्स आहुजा इंडस्ट्रीज-प्रो. ऋषि आहुजा एवं गौतम आहुजा एवं मैसर्स भाग चंद राज कुमार-प्रो. ऋषि आहुजा को उक्त धारा 13(2) का नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं प्राप्ति हेतु पोस्ट ऑफिस का ट्रैक कंसाईन्मेंट एवं प्राप्ति रसीद की प्रतियां पेश की है जिसके अनुसार ऋणी अप्रार्थीगण को नोटिस धारा 13(2) का तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट
भी गंगानगर

करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 61 (उत्तर, दक्षिण पश्चिम दिशा खुलता हुआ) नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) एवं व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 31 (पूर्व, पश्चिम दिशा खुलता हुआ), नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) जो ऋणी मैसर्स आहुजा इंडस्ट्रीज-प्रो. ऋषि आहुजा एवं गौतम आहुजा एवं मैसर्स भाग चंद राज कुमार-प्रो. ऋषि आहुजा के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का सम्बन्ध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.10.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 10.10.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी ऋषि आहुजा के नाम जारी होकर स्वयं को प्राप्त हो चुका है एवं मैसर्स आहुजा इंडस्ट्रीज-प्रो. ऋषि आहुजा एवं गौतम आहुजा एवं मैसर्स भाग चंद राज कुमार-प्रो. ऋषि आहुजा को पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रेक कंसाईनमेंट एवं प्राप्ति रसीद की प्रति के अनुसार नोटिस प्राप्त हो चुका है, परिणामस्वरूप धारा 13(2) के नोटिस की प्रति एवं पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रेक कंसाईनमेंट एवं प्राप्ति रसीद की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया

जिला मजिस्ट्रेट
भी गंगानगर

राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मैसर्स आहुजा इंडस्ट्रीज-प्रो. ऋषि आहुजा एवं गौतम आहुजा एवं मैसर्स भाग चंद राज कुमार-प्रो. ऋषि आहुजा द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा श्रीकरणपुर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.2019 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 61 (उत्तर, दक्षिण पश्चिम दिशा खुलता हुआ) नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) एवं व्यवसायिक सम्पत्ति शॉप नं. 31 (पूर्व, पश्चिम दिशा खुलता हुआ), नई धान मंडी, श्रीकरणपुर (क्षेत्रफल 3250 वर्गफुट) जो कि ऋणी मैसर्स आहुजा इंडस्ट्रीज-प्रो. ऋषि आहुजा एवं गौतम आहुजा एवं मैसर्स भाग चंद राज कुमार-प्रो. ऋषि आहुजा के नाम से है और जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर